#### Innovation Management Directorate नवाचार प्रबंधन निदेशालय Council of Scientific and Industrial Research वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 2, Rafi Marg, Anusandhan Bhawan, New Delhi-110001 2, रफी मार्ग, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली-110001

# OFFICE MEMORANDUM / कार्यालय ज्ञापन

सं. 17/1/Misc/2024-IMD

जुलाई 18, 2024

विषयः सीएसआईआर मुख्यालय के लिए स्थायी प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता सिमिति (एसईसी), वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी) और पांच सीएसआईआर क्लस्टरों (CSIR Clusters) के लिए लोकपाल (ombudsman) का नामांकन- reg.का गठन के संदर्भ में

Constitution of Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC), Scientific Investigation Board (SIB) and ombudsman for five CSIR clusters for CSIR Headquarters- reg

अनुसंधान और शासन में नैतिकता के लिए सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए, महानिदेशक, सीएसआईआर ने सी एस आई आर मुख्यालय के लिए निम्नलिखित सिमितियों का गठन नीचे दी गयी शर्तों के साथ अनुसार अनुमोदित किया है:

In pursuance of the CSIR Guidelines for Ethics in Research and Governance, Director General, CSIR has been pleased to approve the constitution of the following committees with the suggested Terms of Reference as given below:

1.	डॉ विश्वजननी जे. सत्तीगेरी, प्रमुख, सीएसआईआर टीकेडीएल Dr Viswajanani J. Sattigeri, Head, CSIR-TKDL	अध्यक्ष Chairperson
2.	डॉ जी महेश, प्रमुख, सीएसआईआर-एससीडीडी Dr G. Mahesh, CSIR-SCDD	नैतिकता/सुरक्षा अधिकारी Ethics/Safety Officer
3.	डॉ. टीकम सिंह राणा, प्रमुख, सीएसआईआर-एचआरडीसी Dr Tikam Singh Rana, CSIR-HRDC	सदस्य Member
4.	डॉ. ललिता गोयल, मुख्य वैज्ञानिक, सीएसआईआर-टीएमडी Dr. Lalita Goyal, Chief Scientist, CSIR-TMD	सदस्य Member
5.	सुश्री दीप्ति शर्मा दुल्लू, व. त. अ. (2), सीएसआईआर-आईएमडी Ms Deepti Sharma Dullu, Sr. TO (2), CSIR-IMD	सदस्य Member

6.	शी गा। समार किंग अन्य की वे	
O.	श्री राम कुमार सिंह, अवर सचिव (केन्द्रीय कार्यालय) Mr. Ram Kumar Singh, US (CO)	सदस्य Member
7.	डॉ वंदना बिष्ट, मुख्य वैज्ञानिक, सीएसआईआर-आईएमडी Di	सदस्य सचिव
	Vandana Bisht, Chief Scientist, CSIR-IMD	Member Secretary
S	cientific Investigation Board (SIB) वैज्ञानिक जांच बोर्ड	(एसआईबी), CSIR
1.	डॉ के जे श्रीराम, निदेशक, सीएसआईआर-सीएलआरआई Dr K J Sreeram, Director, CSIR-CLRI	अध्यक्ष Chairperson
2.	डॉ गीता वाणी रायसम, प्रमुख, सीएसआईआर-एससीडीडी	सदस्य
	Dr Geetha Vani Rayasam, Head, CSIR-SCDD	Member
3.	उप सचिव / वरिष्ठ उप सचिव (केंद्रीय) कार्यालय, सीएसआईआर मुख्यालय DS/Sr DS (Central Office), CSIR Hq	सदस्य Member
4.	उप सचिव / वरिष्ठ उप सचिव ,सतर्कता विभाग	सदस्य
	DS/Sr DS (Vigilance), CSIR Hq	Member
5.	सुश्री पूजा अग्रवाल, व. त. अ. (2), सीएसआईआर-आईएमडी Ms. Pooja Aggarwal, Sr. TO (2), CSIR-IMD	सदस्य Member
6.	प्रमुख आईएमडी Head IMD	सदस्य सचिव Member Secretary
	पांच क्लस्टर के लिए सीएसआईआर लोकपा CSIR Ombudsman for Five Cluste	<u>।</u> ल r
	लोकपाल / Ombudsman	सीएसआईआर क्लस्टर CSIR Cluster
1.	डॉ. शोभोना शर्मा, आईएनएसए मानद वैज्ञानिक, आईसीटी , मुंबई Dr. Shobhona Sharma, INSA Honorary Scientist, ICT, Mumbai	जैविक विज्ञान Biological Sciences
2.	प्रोफेसर उदय मैत्रा, मानद संकाय, कार्बनिक रसायन विज्ञान विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु Prof, Uday Maitra, Honorary faculty, Dept of Organic Chemistry, Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru	रासायनिक विज्ञान Chemical Sciences
	प्रोफेसर बी वी रेड्डी, सिविल इंजीनियरिंग विभाग और अध्यक्ष, सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज (सीएसटी), आईआईएससी, बेंगलुरु	इंजीनियरिंग विज्ञान Engineering Sciences
	Prof. B V Reddy, Dept of Civil Engineering and Chairman, Centre for Sustainable Technologies (CST), IISc, Bengaluru	

Prof Dhananjai Pandey, Distinguished Professor, IIT, Bhilai	ele komb
प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर Prof. Manindra Agrawal, Director, Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur.	Information Sciences

2) इन समितियों में निम्नलिखित सुझाये गए विचारार्थ विषय होंगे: The terms of reference for the Committees are:

## स्थायी प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता समिति (एसईसी) Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC)

- i) सीएसआईआर मुख्यालय का कोई भी वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारी या शोध कर्मचारी अनैतिक व्यवहार और/या प्रथाओं से संबंधित लिखित शिकायत के साथ सीएसआईआर मुख्यालय में एसईसी से संपर्क कर सकता है; Any scientific/technical staff or a research worker of CSIR Hq could approach SEC with a written complaint/grievance related to unethical behaviour and/or practices at CSIR Hq;
- ii) एसईसी विभिन्न पहलुओं पर नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जैसे कि अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं, सुरक्षा मुद्दों, प्रकाशन और साहित्यिक चोरी, लिंग संवेदनशीलता, डेटा विश्लेषण और सांख्यिकीय प्रक्रियाएं और संचार में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण;
  The SEC will undertake regular workshops on various aspects, such as good laboratory practices, safety issues, publication and plagiarism, gender sensitivity, data analysis and statistical procedures and importantly training in communication;
- iii) एसईसी वैज्ञानिक प्रथाओं और अनुसंधान नैतिकता में कदाचार से संबंधित सभी मामलों पर डीजी, सीएसआईआर को सलाह और मार्गदर्शन करेगा; The SEC shall advice and guide the DG, CSIR on all matters pertaining to misconduct in scientific practices and research ethics;
- iv) एसईसी, डीजी, सीएसआईआर की सिफारिश पर, नामित लोकपाल को किसी भी वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारी या एक शोध कार्यकर्ता से प्राप्त किसी भी अपील को प्रस्तुत करेगा, जो एसआईबी की सिफारिश एवं निर्णय से असंतुष्ट हैं। एसईसी इस संबंध में लोकपाल को अपेक्षित आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।; The SEC, on the recommendation of DG, CSIR, would present to the designated Ombudsman any appeal received from any scientific/technical staff or a research worker, who is not satisfied with the recommendation of the SIB and the punishment/decision based on same. SEC would provide the requisite necessary support to the Ombudsman in this regard.
- एसईसी स्टाफ द्वारा किए गए प्रकाशनों के संबंध में नैतिक मानकों के अनुपालन के लिए किसी भी बाहरी पक्ष (सीएसआईआर की ओर से) को जवाब देगा; तथा

The SEC shall respond to any external parties (on behalf of CSIR) for compliance with ethical standards in respect of publications made by staff; and

- vi) एसईसी डीजी, सीएसआईआर द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामले पर भी काम करेगा। The SEC shall work on any other matter as assigned by the DG, CSIR.
- vii) एसईसी का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होगा। The term of the SEC will be for a period of 3 years.

## वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी) Scientific Investigation Board (SIB)

- i) सीएसआईआर मुख्यालय में वैज्ञानिक कदाचार और डीजी, सीएसआईआर द्वारा संदर्भित मामलों की जांच एसआईबी द्वारा की जाएगी; The matters of scientific misconducts at CSIR Headquarters and those referred to by DG, CSIR would be investigated by SIB;
- ii) मौजूदा एसआईबी को दो बाहरी विशेषज्ञों की विशेषज्ञता के साथ पूरक किया जाएगा जो मामले के आधार पर अलग-अलग होंगे ताकि मामले की जांच, तथ्य खोज और दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिश की जा सके;
  The existing SIB would be supplemented with expertise of two external experts which will vary on case to case basis so as to investigate the matter, fact finding and recommending the punitive action;
- iii) एसआईबी संबंधित वैज्ञानिक कर्मचारियों के साथ बातचीत सहित उचित कार्य करेगा, रिकॉर्ड की जांच करेगा और जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए अपराध के अनुरूप उपयुक्त दंडात्मक कार्यवाही का सुझाव देगा; तथा
  The SIB will do due diligence including interaction with the concerned scientific staff, examine the records and suggest the suitable punitive action commensurate with the offence done as per issued guidelines; and
- iv) दंडात्मक कार्रवाई को लागू करते हुए एसआईबी की रिपोर्ट आरोपी के साथ साझा की जाएगी। The report of the SIB would be shared with the accused while implementing the punitive action.
- v) एसआईबी का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होगा। The term of the SIB will be for a period of 3 years.

#### लोकपाल /Ombudsman

i) लोकपाल उन शिकायतों की वृद्धि की जांच करेगा जिनका या तो समाधान नहीं किया गया है या संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला द्वारा अनुपयुक्त रूप से निपटाया गया है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, या सीएसआईआर के महानिदेशक द्वारा संदर्भित कोई विशिष्ट मामला। — वैज्ञानिक कदाचार की जांच प्रयोगशाला स्तर पर वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी) द्वारा की जाएगी । प्रयोगशाला स्तर पर केवल अनसुलझे मामलों, सहायक साक्ष्यों के साथ आधार योग्यता, सीएसआईआर के महानिदेशक द्वारा सिफारिश के लिए संबंधित विषय समूह के लोकपाल को भेजा जाएगा ।

The Ombudsmen would investigate escalations of complaints that have either not been solved or appear to have been poorly or inappropriately handled by the concerned CSIR constituent against which the complaint has been lodged, or any specific cases referred by DG, CSIR.

- ---The scientific misconduct would be investigated by Scientific Investigation Board (SIB) at the laboratory level. Only unresolved cases at the laboratory level, basis merit with supporting evidences, would be referred by Director General, CSIR to an Ombudsman of concerned subject group for recommendation.
- ii) लोकपाल को स्थायी प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता समिति (एसईसी) और सीएसआईआर प्रयोगशाला/सीएसआईआर मुख्यालयों के नैतिकता अधिकारी द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी । आवश्यकता पड़ने पर लोकपाल को संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला/सीएसआईआर मुख्यालयों द्वारा मामलों पर सचिवाला के साथ-साथ तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

The Ombudsman would be provided necessary support by Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC) and Ethics Officer of the CSIR laboratory/CSIR Hqs. When required, the Ombudsman would be provided secretarial as well as technical assistance on the cases by the concerned CSIR laboratory/CSIR Hqs.

- iii) यदि आवश्यक हो तो लोकपाल किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ का समर्थन ले सकता है । The Ombudsman may take the support of any technical expert, if so required.
- iv) लोकपाल सीएसआईआर प्रणाली के भीतर नियमों के आवेदन के समग्र सामंजस्य के लिए घनिष्ठ तालमेल और एक समूह के रूप में काम कर सकता है।

The Ombudsmen may work in close synergy and as a group, for an overall coherence of application of rules, within the CSIR system.

v) लोकपाल का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होगा। The term of the Ombudsman will be for a period of 3 years.

> (राजेंद्र प्रसाद सिंह) मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, आईएमडी

## प्रतिलिपि Copy to

1. सभी उपरिलिखित सदस्यों को; To all Members of the Committee as above;

2. निजी सचिव, महानिदेशक, सीएसआईआर; संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर, वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर; PS to DG, CSIR, JS (Admn), CSIR, FA, CSIR;

3. सी एस आई आर हैडकार्टर- सभी विभागों के प्रमुख; HODs of CSIR Headquarters;

4. सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक; Director of all CSIR Laboratories/Institutes;

प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी, सी एस आई आर प्रयोगशालाएं; COA/AO of CSIR Laboratories:

केंद्रीय सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर; CVO, CSIR;

- 7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर; LA, CSIR;
  8. कार्यालय ज्ञापन अपलोड करने के लिए आईटी प्रभाग; IT Division for uploading the OM on CSIR website;
- 9. कार्यालय प्रति; Office Copy